(47)

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक – न0नि0–50–09 / 2025 2719
प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा, (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,

प्रमण्डलीय आयुक्त; तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर
जिला दण्डाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
पूर्वी चम्पारण।

पटना, दिनांक – 14.6.25

विषयः मधुबन नगर पंचायत के क्षेत्र विस्तार के उपरांत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) गठन / परिसीमन के संबंध में।

प्रसंगः नगर विकास एवं आवास विभाग का अधिसूचना सहपठित ज्ञापांक–1259, दिनांक–08.05.2025 एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण का पत्रांक–45, दिनांक–10.06.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रासंगिक अधिसूचना से नगर पंचायत मधुबन का गठन किया गया है। आयोग द्वारा नवगठित नगर पंचायत मधुबन के संबंध में उक्त अधिसूचना द्वारा उपलब्ध कराये गये एवं जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण के प्रासंगिक पत्र द्वारा सम्पुष्ट जनसंख्या के तहत गठित उक्त नगर पंचायत के सीमांतर्गत बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 13 में निर्धारित विहित रीति से आयोग द्वारा कुल वार्डों की संख्या निर्धारित की गयी है। अतएव **संविधान के अनुच्छेद 243 ZA(i) सह पठित बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 14 एवं बिहार नगरपालिका निर्वाचन नियमावली के नियम 29(1) तथा 92 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय में वार्डों के गठन हेतु निम्न निदेश दिया जाता हैः–**

(1) नगर विकास एवं आवास विभाग की प्रासंगिक अधिसूचनाओं से संबंधित जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) के द्वारा नगर निकाय का भौगोलिक सीमांकन एवं जनसंख्या नियत की जा चुकी है। अतएव उक्त नगर निकाय को वार्डों में विखंडित कर प्रत्येक वार्ड का सीमांकन किया जायेगा तथा वार्डों को नगर निकाय के मानचित्र में स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

(2) प्रत्येक वार्ड में सटे हुए इलाके रहेंगे तथा प्रत्येक वार्ड का गठन इस प्रकार किया जायेगा ताकि उसे दूसरे वार्डों से स्पष्ट रूप से अलग समझने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होने पाये, अर्थात् वार्डो का गठन इस प्रकार किया जायेगा ताकि उसकी चौहद्दी कोई सड़क, गली, मुख्य इमारत या स्थान, सरकारी भवन / निजी भवन या अन्य कोई वस्तु हो जिनके द्वारा संबंधित वार्डों एवं उसकी सीमा को आसानी से पहचाना जा सके। आम तौर पर वार्ड की चौहद्दी प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तुओं के जरिये एक दूसरे से साफ–साफ अलग रहेगी ताकि मतदाता सूची बनाने में वार्डो

4

की सीमाओं में कोई संशय नहीं रहे एवं प्रत्येक वार्ड की मतदाता सूची स्पष्ट रूप से तैयार की जा सके।

(3) नगर निकाय की जनसंख्या के आधार पर अनुमान्य वार्डो का विवरण निम्नांकित सूची के अनुसार निम्नवत निर्धारित है –

सूची (नगर पंचायत मधुबन)

क्रम सं0	जिला का नाम	नगर निकाय का नाम	2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या (नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचना के आधार पर) कुल जनसंख्या	अनुमन्य वार्डो की संख्या	वार्डों की संख्या पूर्णाकित करने पर	औसत जनसंख्या (पूर्णाकित)	मानक जनसंख्या (परास)
1	पूर्वी चम्पारण	नगर पंचायत मधुबन	16391	12.19	12	1366	866 - 1866

नोट– प्रथम 12 हजार की जनसंख्या हेतु 10 वार्ड तथा शेष 4391 की जनसंख्या हेतु प्रत्येक 2000 की जनसंख्या पर 1 वार्ड अर्थात् 2 वार्ड का गठन नियमानुसार किया गया है। इस प्रकार वार्डों की कुल संख्या 12 निर्धारित की गई है।

(4) उक्त नगर निकाय को अनुमान्य वार्डो में विखंडित करते समय यह ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक वार्ड की आबादी यथाशक्य संपूर्ण नगर निकाय में एक ही हो। मानक जनसंख्या निर्धारित करने का एक ही उद्देश्य है कि वार्डो के स्पष्ट सीमांकन में अगर व्यवधान हो रहा हो तभी जनसंख्या औसत जनसंख्या से विचलित कर मानक जनसंख्या के मध्य तक की सीमा में रखी जायेगी, अन्यथा यथासंभव औसत जनसंख्या या उसके निकट रखकर सीमांकन सम्पन्न किया जायेगा। नगर निकाय के चुनाव के लिए 2011 की जनसंख्या को आधार बनाया गया है, अर्थात् 2011 की जनगणना में जो आबादी दर्शायी गयी है उसी के आधार पर वार्डों का गठन किया जायेगा। **वार्डों के गठन में अत्यधिक सर्तकता एवं पारदर्शिता बरती जानी चाहिए ताकि वार्डों का गठन जाति/धर्म/समुदाय/राजनीतिक आधार पर नहीं हो।**

(5) अगर किसी विशेष कारणवश मानक जनसंख्या के अधीन किसी वार्ड का गठन करना संभव नहीं हो तो पूर्ण औचित्य के साथ स्पष्ट विवरण आयोग को भेजा जाएगा, जिस पर विचारोपरांत आयोग सम्यक आदेश देगा।

ध्यातव्य रहें कि मानक जनसंख्या से विचलन की स्थिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्रपत्र–6 में प्रारूप प्रकाशन के पूर्व ही प्रेषित किया जाए। प्रस्ताव के साथ इसको तैयार करने वाले पदाधिकारी को आयोग कार्यालय में उपस्थित होने हेतु प्राधिकृत किया जाए। प्राधिकृत पदाधिकारी साक्ष्य स्वरूप आयोग के इस पत्र/चेकलिस्ट में दिये गये निदेशों के अन्य बिन्दुओं के अनुपालन प्रतिवेदन साथ में लेकर उपस्थित होगें, ताकि वे भौगोलिक बाध्यताओं एवं औचित्यपूर्ण कारणों से आयोग को अवगत करा सकें। किसी भी स्थिति में प्रारूप प्रकाशन के उपरांत विचलन की स्थिति में अनुमोदन हेतु प्रस्ताव आयोग को प्रेषित नहीं किया जाए।

(6) वार्डों के गठन के पश्चात प्रत्येक वार्ड का संख्यांकन किया जायेगा। वार्डों का संख्यांकन उत्तर पश्चिम दिशा से प्रारंभ कर दक्षिण–पूरब दिशा में समाप्त किया जायेगा। वार्डों का संख्यांकन इस प्रकार किया जायेगा कि वार्डों का संख्यांकन 1(एक) से शुरू होकर लगातार वार्ड संख्या 1, वार्ड संख्या 2, वार्ड संख्या 3 इत्यादि के रूप में हो। इस प्रकार संख्यांकित वार्डों की भौगोलिक तारतम्यता बनी रहनी चाहिए तथा एक के बाद एक संख्यांकित वार्ड एक दूसरे से सटे हुए रहने चाहिए।

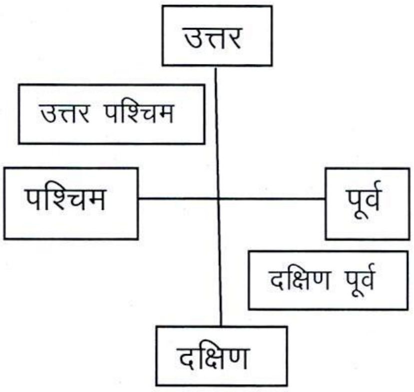

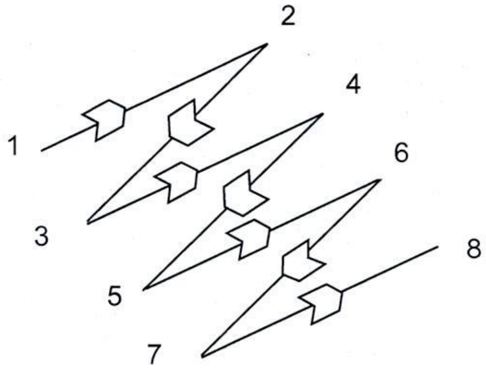

(7) उपर्युक्त तरीके से नगर निकाय का गठन तथा संख्यांकन के पश्चात संलग्न प्रपत्र 6 में संबंधित नगर निकाय के सूचना पट तथा जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट में संलग्न निर्धारित समय सारिणी के अनुसार प्रारूप प्रकाशित किया जायेगा। प्रारूप प्रकाशन की सूचना नगर निकाय क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों एवं वेबसाईट से भी दे दी जायेगी। **प्रारूप प्रकाशित करते समय यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रपत्र– 6 से भिन्न अन्य किसी प्रपत्र या रूप में प्रारूप प्रकाशन नहीं किया जाए। प्रपत्र 6 के विभिन्न स्तंभों के विरूद्ध सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ भी सही रूप से भरी जानी चाहिए।**

(8) उक्त रूप से प्रारूप प्रकाशित वार्डो के बारे में प्रारूप प्रकाशन की तिथि से संलग्न समय सारणी के अनुसार वार्डो के गठन के बारे में जिला दण्डाधिकारी के समक्ष या जिला दण्डाधिकारी को सूचित करते हुए उनके द्वारा प्राधिकृत किसी पदाधिकारी के समक्ष आपत्तियाँ दर्ज की जा सकेगी। आपत्तियाँ प्रारूप प्रकाशित वार्डो के सिर्फ परिसीमन, जनसंख्या तथा वार्डो के संख्यांकन से संबंधित बिन्दुओं पर ही दी जा सकेगी।

(9) यह सुनिश्चित करना जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) का दायित्व है कि वार्डो के परिसीमन एवं गठन में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा त्रुटि नहीं होने पाए। यह जरूरी नहीं है कि प्रारूप प्रकाशित होने के पश्चात संबंधित नगर निकाय के निवासियों द्वारा परिसीमन एवं गठन में हुई सभी अनियमितताओं/त्रुटियों के बारे में आपत्ति दर्ज की जाए। प्रारूप में ऐसी कई अनियमितताएँ/त्रुटियाँ रह जा सकती है जिनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाए। अतः यह आवश्यक है कि वार्डो के गठन एवं परिसीमन से जुड़े सभी अधिकारी/कर्मी भी इस दिशा में सजग एवं सचेष्ट रहें। अधिकारियों को विशेष हिदायत दी जाए कि वे स्वयं भी प्रारूप प्रकाशित प्रपत्र–6 की सभी प्रविष्टियाँ विशेषतः वार्ड की जनसंख्या एवं चौहद्दी की दोबारा–तिबारा जाँच कर लें एवं संतुष्ट हो जाएँ कि परिसीमन एवं गठन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रह गई है। अधिकारियों/कर्मियों द्वारा प्रारूप प्रपत्र–6 में पाई गई (detected) खामियों एवं त्रुटियों को प्रारूप

प्रकाशन की अवधि में प्राप्त आपत्तियों के रूप में मानते हुए उसका निष्पादन किया जाएगा और तदनुसार अंतिम रूप से वार्डों का गठन किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि प्रारूप प्रपत्र–6 में त्रुटियों/खामियों के संबंध में आपत्तियाँ चाहे नगर निकाय के निवासियों द्वारा दी गई हो अथवा वे अधिकारियों द्वारा स्वयं डिटेक्ट की गई हों, दोनों ही स्थितियों में त्रुटियों का निराकरण/परिमार्जन कर अंतिम रूप से प्रपत्र–6 का प्रकाशन किया जाना है। **स्पष्ट किया जाता है कि अंतिम रूप से प्रकाशित प्रपत्र–6 में अगर अधिकारियों की किसी लापरवाही, शिथिलता अथवा गलत मंशा के कारण त्रुटि अथवा खामी आयोग की दृष्टि में लाई जाएगी तो आयोग ऐसे अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा।**

(10) जिला दण्डाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक जाँचोपरांत आवश्यक आदेश पारित किया जायेगा जो अंतिम होगा। इस प्रकार **"प्राधिकृत पदाधिकारी" का तात्पर्य नगर निकाय के बारे में अनुमंडल दण्डाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी से है। किसी भी स्थिति में नगरपालिका के अधीन कार्यरत किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत पदाधिकारी के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।** प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन प्रारूप प्रकाशन के उपरांत संलग्न समय सारिणी के अनुसार किया जायेगा।

(11) आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात यदि प्रारूप प्रकाशित वार्डो में किसी प्रकार का संशोधन आवश्यक हो तो उसे सम्मिलित करते हुए संबंधित नगर निकाय के वार्डो की अंतिम सूची संलग्न प्रपत्र–6 में तैयार की जायेगी और उस पर संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर संलग्न विहित समय सारिणी के अनुसार उसे संबंधित जिला गजट में नगर निकाय के मानचित्र सहित प्रकाशित किया जायेगा तथा उसकी प्रति मानचित्र सहित संबंधित नगर निकाय, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं जिला निर्वाचन कार्यालय को भेजी जायेगी। **इस प्रकार अंतिम रूप से तैयार की गई वार्डों की सूची में बिना राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन नहीं किया जा सकेगा।**

(12) वार्डों के गठन से संबंधित एक चेक लिस्ट भी इस पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है जिसके अनुरूप कार्रवाई किए जाने से त्रुटियों की गुंजाइश नगण्य हो सकती है। आयोग द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार **अंतिम रूप से गठित वार्डों का दिनांक 29.07.2025 को जिला गजट में प्रकाशन किया जाना है।** उसके दो–तीन दिन पूर्व ही संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त से अंतिम रूप से तैयार किए गए प्रपत्र–6 तथा उससे संबंधित मानचित्र में की गई प्रविष्टियों पर स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा। **संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त स्वयं अंतिम रूप से तैयार किए गए प्रपत्र–6 तथा उससे संबंधित मानचित्र में की गई प्रविष्टियों के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात उसे स्वीकृत करते हुए अपना हस्ताक्षर करेंगे।** इस प्रकार प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा स्वीकृत तथा हस्ताक्षरित प्रपत्र 6 तथा उससे संबंधित मानचित्र को कार्यालय की प्रति के रूप में अभिलेख के तौर पर जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा और इसके आधार पर ही अंतिम प्रपत्र 6 तथा उससे संबंधित मानचित्र को दिनांक 29.07.2025 को जिला गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(13) प्रपत्र 6 एवं चेक लिस्ट का मुद्रण या फोटो प्रति जिला दण्डाधिकारी द्वारा अपने स्तर पर कराया जायेगा। **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) से अनुरोध है कि इस पत्र की पर्याप्त प्रतियाँ अपने स्तर पर तैयार कर सभी संबंधित को तुरंत उपलब्ध करा दी जाय तथा संबंधित अधिकारियों की एक बैठक जिला स्तर पर शीघ्र बुलाकर वार्डो के गठन एवं परिसीमन के संबंध में आयोग के उपर्युक्त निदेशों को स्पष्ट करने की कार्रवाई की जाए ताकि विहित समय सारिणी के अनुसार सभी विहित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकें।**

(14) इस निदेश के साथ संलग्न किये गये सभी प्रपत्र यथा चेक–लिस्ट, समय सारणी, परिवाद निष्पादन प्रक्रिया आदि निदेश का आवश्यक अंग माना जाएगा, साथ ही प्रक्रिया के क्रम में जारी पूरक दिशा–निर्देश भी इसमें समाहित समझा जाएगा।

(15) उक्त सभी दिशा–निर्देश संविधान के अनुच्छेद 243 ZF के अधीन विधि बनाये जाने से संबंधित तात्पर्यित समझा जाएगा।

विश्वासभाजन

14/6/25

सचिव

ज्ञापांक – न0नि0–50–09/2025 2719 पटना, दिनांक – 14.6.25

प्रतिलिपि – 1. आई.टी. प्रबंधक को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

14/6/25

सचिव

ज्ञापांक – न0नि0–50–09/2025 2719 पटना, दिनांक – 14.6.25

प्रतिलिपि – सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/25

सचिव

ज्ञापांक – न0नि0–50–09/2025 2719 पटना, दिनांक – 14.6.25

प्रतिलिपि – मुख्य सचिव, बिहार सरकार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

14/6/25

सचिव

14.06.2025

A2

वार्ड गठन से संबंधित चेक लिस्ट

1. क्या पूर्व से कार्यरत निकाय यथा ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर परिषद / नगर निगम के वार्डो के परिसीमा को शून्य कर दिया गया है?
2. क्या नगर निकाय (नगर निकाय / नगर परिषद् / नगर निगम) का क्षेत्र एवं सीमा को चिह्नित (identified) (नक्शा के साथ) किया गया है?
3. क्या संशोधित नियमावली के अनुसार अनुमान्य संख्या में वार्डो का गठन किया गया है?
4. क्या वार्ड की सीमा भौगोलिक, प्राकृतिक या कृत्रिम वस्तु के जरिये एक दूसरे से साफ–साफ अलग की गयी है?
5. क्या जनसंख्या का आधार 2011 जनगणना को रखा गया है?
6. क्या नगर निकाय की 2011 की कुल जनसंख्या एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का आंकलन किया गया है?
7. क्या मानक जनसंख्या की गणना में +/– 500 (नगर निगम हेतु +/– 1000) किया गया है?
8. क्या वार्डों की जनसंख्या मानक जनसंख्या के अंदर है?
9. क्या वार्डों की जनसंख्या मानक जनसंख्या से अधिक या कम होने की स्थिति में तो आयोग का अनुमोदन प्राप्त किया गया है?
10. क्या संख्यांकन उत्तर पश्चिम से प्रारंभ करते हुए दक्षिण–पूर्व में उसका समापन किया गया है?
11. क्या संख्यांकन लगातार (continuous) है?
12. क्या नगर निकाय क्षेत्र के सभी होल्डिंग को किसी न किसी वार्ड में शामिल अवश्य कर लिया गया है?
13. क्या प्रपत्र–6 नियमावली के अनुरूप तैयार की गयी है? सभी प्रविष्टियाँ सही रूप से अंकित की गयी है तथा चौहद्दी के उर्ध्व स्तंभ में दर्शाया गया है?
14. क्या आयोग द्वारा निर्धारित अवधि में प्रारूप प्रकाशित कर आपत्तियाँ प्राप्त की गयी हैं?
15. क्या प्रारूप प्रकाशन की अवधि में वार्ड गठन के विरूद्ध आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की गयी है?
16. क्या वार्ड गठन के कार्य से जुड़े अधिकारियों द्वारा प्रारूप प्रपत्र–6 को एक से अधिक बार स्वयं भी जाँच कर देख लिया गया है, तथा परिलक्षित अनियमितताओं / विसंगतियों / खामियों / त्रुटियों का निराकरण / परिमार्जन कर लिया गया है?
17. क्या अंतिम रूप से प्रकाशित किए जाने वाले प्रपत्र–6 तथा तद्नुसार नगर निकाय (नगर निकाय / नगर परिषद् / नगर निगम) के मानचित्र पर प्रमण्डलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है?
18. क्या जिला गजट में वार्ड की सूची के प्रकाशन के साथ मानचित्र संलग्न किया जा रहा है?

वार्डों के गठन हेतु समय सारिणी।

1.	वार्डो का परिसीमन एवं गठन	—	17.06.2025 से 25.06.2025 तक ।
2.	गठित वार्डों का प्रारूप प्रकाशन	—	26.06.2025 ।
3.	दावा–आपत्तियों की प्राप्ति की अवधि	—	26.06.2025 से 05.07.2025 तक ।
4.	प्रारूप प्रकाशन के दौरान प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन	—	27.06.2025 से 14.07.2025 ।
5.	आपत्तियों के निष्पादन के उपरांत प्रोविजनल नक्शा एवं चौहद्दी सहित वार्ड का प्रकाशन एवं सीमित आपत्ति की प्राप्ति	—	15.07.2025 से 17.07.2025 तक ।
6.	वार्डों की सूची तैयार कर उस पर प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्राप्त सीमित आपत्ति के साथ प्रोविजनल नक्शा का प्रेषण एवं प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सुनवाई के उपरांत अंतिम अनुमोदन	—	18.07.2025 से 25.07.2025 ।
7.	अंतिम रूप से गठित वार्डो का जिला गजट में प्रकाशन	—	29.07.2025 ।
8.	राज्य सरकार (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं राज्य निर्वाचन आयोग को जिला गजट में प्रकाशित वार्डो की सूची एवं मानचित्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि	—	04.08.2025 तक ।

48

दावा – आपत्ति के निष्पादन हेतु दिशा–निर्देश

पत्र में वर्णित सामान्य निर्देशों के अतिरिक्त दावा–आपत्ति के निष्पादन हेतु विशिष्ट दिशा–निर्देश निम्नवत् है :–

1. प्रारूप प्रकाशन के उपरांत प्राप्त सभी दावा–आपत्तियों हेतु अलग–अलग पृष्ठांकित संचिकाएं संधारित की जाएगीं।

2. दावा आपत्ति के अवधि में प्राप्त होने वाले सभी आपत्तियों चाहे वह सीधे वार्ड गठन/परिसीमन करने वाले पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो, अथवा जिला दण्डाधिकारी के कार्यालय अथवा आयोग कार्यालय से अग्रसारित हो, को एक समान वरीयता प्रदान करते हुए निष्पादित की जाएगीं।

3. दावा आपत्ति की अवधि के उपरांत यदि कोई परिवाद प्राप्त होता है, तो उसे सामान्य परिवाद की भांति निष्पादित किया जाएगा। उस आपत्ति को वैधानिक आपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4. प्राप्त आपत्तियों को हर हाल में उसी दिन आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा, तथा निष्पादन के उपरांत भी आदेश फलक अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

5. सीधे कार्यालय में आपत्ति करने वाले आपत्तिकर्ता को संलग्न विहित प्रपत्र में पावती अवश्य दी जाएगी। (पावती का विहित प्रपत्र संलग्न)

6. आपत्तिकर्ता एवं प्रभावित पक्ष या अन्य हितधारकों को विधिवत सूचना/नोटिस (नोटिस की प्रति संलग्न) दे कर सुनवाई की जाएगी, तथा सुनवाई में उनकी उपस्थिति विधिवत उपस्थिति पंजी में प्राप्त कर पंजी संधारित की जाएगी।

7. सुनवाई के दौरान सभी प्रक्रियाओं को आदेश फलक पर अंकित करते हुए सकारण आदेश पारित किया जाएगा कि क्यों आपत्तिकर्ता का दावा स्वीकार किया गया है, अथवा अस्वीकृत किया जा रहा है।

8. सुनवाई के दौरान सभी गतिविधियों का विडियोग्राफी कराया जाएगा तथा विडियो फुटेज सुरक्षित संधारित किया जाएगा।

सीमित आपत्ति

9. प्रोविजनल वार्ड गठन/परिसीमन के प्रकाशनोपरांत केवल ऐसे मामलों में आपत्ति प्राप्त की जाएगी जिसमें कि प्रारूप प्रकाशन से संतुष्ट किसी पक्ष द्वारा आपत्ति नहीं किया गया हो तथा किसी दूसरे व्यक्ति के आपत्ति के निराकरण हेतु प्रकाशित प्रारूप में परिवर्तन किया गया हो और उन्हें इसकी जानकारी प्रदान नहीं की गई हो या परिवर्तन के पूर्व हुए सुनवाई में उन्हें सम्मिलित नहीं किया गया हों।

10. इसके अतिरिक्त ऐसे मामलें जिसमें वैधानिक प्रावधानों को घोर उल्लघंन हुआ हो, परंतु इसका निर्धारण कि ''वैधानिक प्रावधानों को घोर उल्लंघन हुआ है'', जिला दण्डाधिकारी के विवेकाधीन होगा।

इसके अतिरिक्त प्रोविजन वार्ड गठन/परिसीमन के विरूद्ध कोई भी आपत्ति सीमित आपत्ति के रूप में स्वीकार नहीं की जाएगी।

11. जब अनुमोदन हेतु प्रोविजनल वार्ड गठन/परिसीमन का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त को प्रेषित किया जाएगा तो प्राप्त 'सीमित आपत्ति' भी उन्हें प्रेषित की जाएगी।

12. प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा अनुमोदन हेतु प्राप्त प्रस्ताव एवं 'सीमित आपत्ति' पर विचार करते हुए आपत्तियों का निष्पादन उक्त विहित रीति से अधिकतम 3 दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा।

13. यदि सुनवाई के दौरान प्रोविजलन परिसीमन/वार्ड गठन एवं नक्शा में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो आदेश फलक के साथ उसे जिला दण्डाधिकारी को वापस कर दिया जाएगा तथा जिला दण्डाधिकारी अविलम्ब त्रुटि सुधार के साथ परिसीमन/वार्ड गठन एवं नक्शा पर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

(28)

नगरपालिका निर्वाचन
परिसीमन/ वार्ड गठन के विरूद्ध आपत्ति की सुनवाई हेतु नोटिस

मैं ....जिला दण्डाधिकारी/प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–..इस नोटिस के माध्यम से आपको सूचित करता हूँ कि वार्ड सं0 .... के परिसीमन/वार्ड गठन प्रारूप पर से आपत्ति प्राप्त हुआ है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

1. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –

2. आपत्ति का संक्षिप्त विवरण –

आपत्ति पर सुनवाई की दिनांक .... पूर्वाह्न/अपराह्न .... बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में निर्धारित है, जिसमें स्वयं आपका साक्ष्यों के साथ उपस्थित होकर आपका पक्ष रखना अनिवार्य है। अनुपस्थित करने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर निर्णय लिया जा सकता है।

ध्यातव्य रहे कि वार्ड गठन/परिसीमन कार्यक्रम पूर्व निर्धारित है तथा वैधानिक प्रावधानों के अधीन समयसीमा से बंधा है, इसलिए किसी प्रकार का समय विस्तार देय नहीं है।

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नोटः– प्राप्त करने से इन्कार करने पर आपत्तिकर्त्ता/प्रभावित पक्ष के लिखित पते पर नोटिस चिपाकाएँ एवं Geotag फोटो तथा दो गवाह का हस्ताक्षर प्राप्त किया जाए।

ज्ञापांक– दिनांक–

प्रतिलिपि ....(आपत्तिकर्त्ता/परिवादी का नाम एवं पता). सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि उक्त वर्णित सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि को ससमय उपस्थित होकर अपने दावे के समर्थन में निर्विवाद/ठोस साक्ष्य दिया जाए।

प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर

नगरपालिका निर्वाचन

वार्ड गठन/परिसीमन के विरूद्ध आपत्ति की पावती

(कार्यालय की प्रति)

1. जिला–
2. नगरपालिका का नाम –
3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –

4. वार्ड संख्या (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है) –
5. आपत्ति की तिथि (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –
6. आपत्ति का समय (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

नगरपालिका निर्वाचन

वार्ड गठन/परिसीमन के विरूद्ध आपत्ति की पावती

(आपत्तिकर्त्ता की प्रति)

1. जिला–
2. नगरपालिका का नाम –
3. आपत्तिकर्त्ता का नाम एवं पता –

4. वार्ड संख्या (जिनके विरूद्ध आपत्ति की गई है) –
5. आपत्ति की तिथि (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –
6. आपत्ति का समय (अनिवार्य रूप से अंकित की जाय) –

आपत्तिकर्त्ता का हस्ताक्षर

प्राप्तकर्त्ता का हस्ताक्षर
(नाम एवं पदनाम सहित)